

समाचार-प्रकाशनार्थ:-

पी.एम. आवास योजना की निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक रतलाम 12 अगस्त । प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी घटक के हितग्राहियों को शीघ्र लाभ दिलाये जाने के संबंध में गत बैठक में दिये निर्देशों के तहत किये गये कार्यों की निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने समीक्षा की।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि बीएलसी घटक के ऐसे 68 पात्र हितग्राही जिनका जियो टेगिंग पूर्ण हो चुका है तथा उन्हें प्रथम किश्त का भुगतान की कार्यवाही आज ही पूर्ण करें।

उन्होंने निर्देश दिये कि डीपीआर 4 के अतिरिक्त 1200 हितग्राही जिनके समय-समय पर आवेदन प्राप्त हुए हैं उनके जियो टेगिंग का कार्य तेजी से किया जाये साथ ही ऐसे हितग्राही जो बीएलसी घटक में राशि नहीं लेना नहीं चाह रहे हैं उनसे आवेदन लिये जाकर पोर्टल पर दर्ज करवायें।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि बीएलसी घटक के तहत ऐसे हितग्राही जो कि मरम्मत कार्य के लिये राशि चाह रहे हैं उन्हें अपात्र ना करते हुए होल्ड पर रखा जाकर संचालनालय से मार्गदर्शन लिया जाये।

एएचपी घटक के तहत ईडब्ल्यूएस फ्लेट हेतु 442 हितग्राहियों में से 280 हितग्राहियों ने ही बैंक में खाते खुलवाये हैं शेष हितग्राहियों से 1 सप्ताह की समयावधि में खाते खुलवाये जायें व लोन की कार्यवाही पूर्ण की जाये। उन्होंने निर्देशित किया कि लोन प्रकरण बैंको में समान रूप से भेजे जायें।

पीएम स्वनिधी व एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण के लक्ष्य की पूर्ति नियत समयावधि में पूर्ण करें

पीएम स्वनिधी योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है उन्हें ऋण दिलाये जाने के कार्य की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दिये गये लक्ष्य की

पूर्ति समय-सीमा में पूर्ण करें साथ ही हितग्राहियों के मोबाईल नम्बर व पता आदि बैंको तक पहुंचाये।

इसके अलावा एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना की समीक्षा कर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि समूह ऋण प्रकरण ऐसे तैयार करें कि समूह को अधिक से अधिक आय प्राप्त होकर प्रदेश ही नहीं देश में भी नगर निगम का नाम रोशन हो। उन्होंने समीक्षा बैठक में निर्देश दिये कि प्रतिदिन के कार्यों की प्रगति से उपायुक्त श्री विकास सोलंकी को अवगत करायें।

आयुष्मान कार्ड बनाने में लापरवाही बरतने वाले सीएससी सेंटर होंगे सील

सीएससी सेन्टरों की जांच हेतु जांच दल गठित

आज 8 उचित मूल्य की दुकानों पर बनेंगे आयुष्मान कार्ड

नगर निगम द्वारा अब तक 6306 आयुष्मान कार्ड बनाये गये

नगर विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप् व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के शेष रहे पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जाने हेतु अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर आयोजित हुई।

अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में आयोजित बैठक में नगर निगम कर्मचारीए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताए कॉमन सर्विस सेन्टर के प्रोवाइडरए निगम के उपयंत्रीए उप स्वच्छता पर्यवेक्षकए आंगनवाड़ी सुपरवाइजरए वार्ड दरोगा की बैठक लेकर पात्र हितग्राहियों के शत-प्रतिशत कार्ड बनाने के निर्देश दिये।

70 सीएससी सेन्टरों के मात्र 6 बीएलई उपस्थित रहने पर एसडीएम श्री गेहलोत ने कहा कि आयुष्मान कार्ड भारत सरकार की महत्वकांक्षी होकर

किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी योजना है इस कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

उन्होंने निर्देशित किया सीएससी सेन्टरों की जांच हेतु निगम के उपयंत्रियों के साथ 4 दलों का गठन किया जायेगा जो सेन्टरों की जांच करेगा की सीएससी सेन्टर पर शासन निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं। जांच में किसी भी सेन्टरों पर नियमों का उल्लंघन चाहे वह गुमास्ता लायसेंस होए चाहे अवैध पार्किंग हो आदि का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित सीएससी सेन्टर 7 दिवस के लिये बंद कर लायसेंस निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी।

गठित 4 दलों तहत सीएससी सेन्टर क्रमांक 1 से 15 तक के लिये श्री संतोष रत्नावत नायब तहसीलदारए श्री मेहरबानसिंह मालवीय राजस्व निरीक्षकए 16 से 30 के लिये सुश्री पुजा भाटी नायब तहसीलदारए श्री ब्रजेश कुशवाह उपयंत्रिए 31 से 46 के लिये सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए श्री मनीष तिवारी व 47 से 62 के लिये सुश्री अनिता ठाकुर व श्री विकास मरकाम उपयंत्री को नियुक्त किया है जो सीएससी सेंटरों की जांच तीन दिवस में कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे यदि किसी सेन्टर पर शासन निर्देशानुसार अनियमितता पाई जाती है तो सीएससी सेन्टर को 7 दिवस के लिए बंद करवाकर सेंटर का लायसेंस निरस्त किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

आयोजित बैठक में एसडीएम श्री गेहलोत ने निर्देशित किया कि रतलाम शहर के पात्र सभी हितग्राहियों व उनके परिवार के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड 10 दिवस में शत-प्रतिशत बनाये जाना है। कई ऐसे परिवार हैं जिसमें एक सदस्य का कार्ड तो बन चुका है व अन्य सदस्यों का नहीं ऐसे में सभी सदस्यों का भी कार्ड बनाया जाना है क्योंकि परिवार के सदस्य भी पात्र हैं। साथ ही वार्ड परिसीमन में यदि कोई पात्र हितग्राही अन्य वार्ड में सम्मिलित हुआ है तो उसका भी कार्ड बनाया जाना है।

12 अगस्त शुक्रवार को अभिजीत प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मर्यादित रतलाम तेजा नगर ब्लॉक 2ए माँ दरबार महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए गीता महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार मेहता

जी का वासए विवेकानन्द प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार थावरिया बाजारए शांतिनाथ प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार रंगरेज मस्जिद ओझाखालीए राधिका महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार कसारा बाजारए जनहित महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार धनजीभाई का नोहरा व न्यू आदर्श प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार कॉलेज रोड पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाये जायेंगे।

उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर शिविर आयोजित कर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य के तहत 12 अगस्त को 45 कार्ड बनाये गये। इससे पूर्व वार्डवार गठित दलों द्वारा 2543 कार्ड बनाये गये थे इस तरह अब तक 6306 आयुष्मान कार्ड बनाये जा चुके हैं।

आयुष्मान कार्ड से शेष रहे पात्र हितग्राहियों से अपील की जाती है कि वे आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु समग्र आईडीए आधार कार्डए खाद्यन्न पात्रता पर्ची के साथ उक्त उचित मूल्य की दुकानों पर संपर्क कर कार्ड बनवाने की कार्यवाही संपादित करवायें।

उक्त आयोजित बैठकों में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए महिला एवं बाल विकास के डीपीओ श्री रजनेश सिन्हाए अंकिता पंड्याए जिला सहायक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी रश्मि खांबेटए सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारियाए स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी आयुषी पालीवाल सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए लेखाधिकारी श्री विजय बालोद्राए उपयंत्री सर्वश्री राजेन्द्र मिश्राए राजेश पाटीदारए विकास मरकामए मनीष तिवारीए ब्रजेश कुशवाहए हितेश पंडितए श्रीमती अनिता ठाकुरए सुश्री दीक्षा निजामपुरकरए निज सहायक श्री सुभाष गोयलए ऐजीस से श्री सचिनए एलडीएम श्री राकेश गर्गए स्टेट बैंक क्षेत्रिय प्रबंधक श्री अरूण सिंहए स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक सुश्री दीपिका यादवए दीपक शर्माए सुनीत जाटए किशन सोनीए दीपांशु मीनाए सिटी मैनेजर श्री भगवान सिंहए श्री कपील मारोठियाए सामुदायिक संगठिकाएँ आदि उपस्थित थे।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 12 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 12 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 12 अगस्त को 10 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी ए. झोन प्रभारी व स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर नितिन माहेश्वरी ए. रूपवर्षा ए. रमेश ए. रिवाज साडी ए. मंगलश्री ए. अनुपम न्यू क्लॉथ मार्केट ए. श्री सिंह विनोबा नगर पर 500.500 ए. आशापुरी ए. आमंत्रण न्यू क्लॉथ मार्केट पर 250.250 ए. गुलजार अलकापुरी पर 100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी। स्पॉट फाईन की कार्यवाही स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ए. झोन प्रभारी सर्वश्री पर्वत हाड़े ए. किरण चौहान ए. विनय चौहान द्वारा की गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों ए. दुकानदारों आदि की जानकारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह मो. नं. 7471144930 ए. झोन प्रभारी श्री पर्वत हाड़े मो. नं. 7471144931 ए. श्री किरण चौहान मो.नं. 7471144932 ए. श्री विनय चौहान मो.नं. 8770535145 ए. श्री विराट मेहरा 9770326691 ए. स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456 ए. पवन झांझोट मो.नं. 7000128812 ए. आकाष षिन्दे मो.नं. 9424075393 ए. 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110 ए. राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन

12 अगस्त को 84 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 12 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 12 अगस्त गुरुवार को 84 टन कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

12 अगस्त गुरुवार को डम्पर व टे^a कटर ट्रॉली से 43680ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 22435ए काम्पेक्टर गीला 17455ए मैजिक 680 किलो इस तरह कुल 84250 किलो कचरा जुलवानिया टे^a चिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

नगर निगम के पंेषनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 12 अगस्त । संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर पशु वध करनाए मटन विक्रय प्रतिबंधित
रतलाम 12 अगस्त । मध्यप्रदेश शासन के आदेशानुसार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर नगर सीमा में स्थित समस्त पशु वध गृह एवं मांस विक्रय की दुकानों पर पशुवध करनाए मटनए गौशत विक्रय करना अथवा बेचना निषेध किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने संबंधित स्वच्छता निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि उक्त दिवसों को पशु वध करते या मटन गौशत विक्रय करते पाया जाये तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाये।

पीएम स्वनिधी व एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण का हितग्राहियों को मिल रहा है लाभ

रतलाम 12 अगस्त । नगर विधायक माननीय श्री चेतन्य जी काश्यप व कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा पीएम स्वनिधी योजनान्तर्गत नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है साथ ही एनयूएलएम के तहत हितग्राहियों को स्वरोजगार व स्वरोजगार समूह ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि पीएम स्वनिधी योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5341 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 1840 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 779 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 463 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 150 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 175 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 14 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 11 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में नगर पालिक निगम निगम रतलाम को 5 के प्राप्त लक्ष्य के तहत 3 प्रकरण प्राप्त हुए जिसमें से 1 प्रकरण स्वीकृत हुए तथा 1 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेता पी.एम. स्वनिधी के तहत 10 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त निगम के झोन कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 12 अगस्त । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत ऋण उपलब्ध कराने हेतु

नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पथ विक्रेता जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,00,000 का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है वे नगर निगम के झोन कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ० अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

1249 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा रतलाम 12 अगस्त । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 12 अगस्त तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1249 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 12 अगस्त को 80 फीट रोड, सज्जन मिल रोड, अलकापुरी चामुण्डा चौराहा

बंजारा बस्तीए ओसवाल नगरए दीनदयाल नगरए हिम्मत नगर आदि क्षेत्रों से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित हैए ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500₹ वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए०पी० सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये

आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

रतलाम 12 अगस्त । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम मे विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले

नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो० नं० 9300885504ए ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो० नं० 9629647211ए शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो० नं० 9907454456ए अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो० नं० 7697052031ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो० नं० 9589944748ए धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो० नं० 7471144027ए भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो० नं० 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो० नं० 9644000433 को नियुक्त किया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करनाए वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्रवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्थाए सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप

से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधनए कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्चए पेट्रोमेक्सए तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412.270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8.8 घण्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाईए वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलानाए वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करनाए अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करनाए आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखनाए तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें
रतलाम 12 अगस्त । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोंए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 अगस्त । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर ए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर ए हैल्पर ए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर ए दुकान ए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी ए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 12 अगस्त । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है ए जिसके तहत वार्डों की सड़क ए गली ए सार्वजनिक स्थल ए नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी ए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी ए कचरे के ढेर ए नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी व वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/12⁰⁸2021^{धन.पा.निगम} रतलाम.